



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936

No. 424]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SRAVANA 23, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि योजना 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- (1) इस योजना का नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2014 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में -
  - पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (1) में, “रुपए 1,00,000” अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “रुपए 1,50,000” अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
  - फार्म-ए में, पैराग्राफ (iv) में, “रुपए 1,00,000” अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “रुपए 1,50,000” अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/2/2014-एनएस.11]

डॉ० रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** इस योजना को सा.का.नि. 1136 (अ), दिनांक 15/6/1968, के तहत अधिसूचित किया गया और सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 1.8.72, सा.का.नि. 217 (अ) दिनांक 9.3.97, सा.का.नि. 271 (अ) दिनांक 16.3.83, सा.का.नि. 54 (अ) दिनांक 7.2.84, सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 23.6.86, सा.का.नि. 1013(अ) दिनांक 20.8.86, सा.का.नि. 793(अ) दिनांक 29.8.89, सा.का.नि.477(अ) दिनांक 25.5.94, सा.का.नि. 489 (अ) दिनांक 6.7.99, सा.का.नि. 908 (अ) दिनांक 6.12.2000, सा.का.नि. 679 (अ) दिनांक 4.10.2002, सा.का.नि. 768 (अ) दिनांक 15.11.2002, सा.का.नि. 585 (अ) दिनांक 25.7.2003, सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 27.8.2003, सा.का.नि. 755 (अ) दिनांक 19.11.2004, सा.का.नि. 291(अ) दिनांक 13.5.2005, सा.का.नि. 956 (अ) दिनांक 7.12.2010, सा.का.नि. 844 (अ) दिनांक 25.11.2011, और सा.का.नि. 225 (अ) दिनांक 13.3.2014 के तहत संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2014

**G.S.R. 588 (E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2014.  
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968, —
  - (i) in paragraph 3, in sub-paragraph (1), for the letters and figures “Rs.1,00,000”, the letters and figures “Rs.1,50,000” shall be substituted;
  - (ii) In Form-A, in paragraph (iv), for the letters and figures “Rs.1,00,000”, the letters and figures “Rs.1,50,000” shall be substituted.

[F.No.1/2/2014-NS.II]

DR. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

**Note:** The Scheme was notified vide G.S.R. 1136(E), dated 15.6.1968 and amended vide G.S.R. 368 (E), dated 1.8.72, G.S.R. 217 (E), dated 9.3.79, G.S.R. 271(E), dated 16.3.83, G.S.R. 54(E), dated 7.2.84, G.S.R.895(E), dated 23.6.86, G.S.R. 1013(E), dated 20.8.86, G.S.R. 793(E), dated 29.8.89, G.S.R.477(E), dated 25.5.94, G.S.R.489(E) dated 6.7.99, G.S.R.908(E), dated 6.12.2000, G.S.R.679(E), dated 4.10.2002, G.S.R.768(E), dated 15.11.2002, G.S.R.585(E), dated 25.7.2003, G.S.R. 690(E), dated 27.8.2003, G.S.R.755(E), dated 19.11.2004, G.S.R. 291(E), dated 13.5.2005, G.S.R. 956(E), dated 7.12.2010, G.S.R.844(E) dated 25.11.2011 and G.S.R. 225(E) dated 13.3.2014.